


विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर गौर कर मनन किया। सरहद मौजा बलुन्दा, पटवार हल्का बलुन्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ०कालू, तहसील- जैतारण जिला ब्यावर राज० के खसरा नम्बर 1326 रकबा 0.7527 की जमाबन्दी सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण बरुबे राजस्व रेकॉर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1326 रकबा 0.7527 किस्म बारानी अव्वल में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा०डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा बलुन्दा, पटवार हल्का बलुन्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ०कालू, तहसील- जैतारण जिला ब्यावर राज० में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1326 रकबा 0.7527 किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2024/1155 दिनांक 04.11.2024 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक/भू०अ०/25/1899 दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा०मि० की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकूलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- बलुन्दा, पटवार हल्का -बलुन्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- आ०कालू, तहसील जैतारण जिला- ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1326 रकबा 0.7527 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या एक के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लिद्यत व सकूलत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	1. किरण पत्नी सोहनलाल हि. 1/2 जाति 2. भगवती	1326	0.3763	बारानी अव्वल	1.44



	पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/2 जाति गरुड़ा सा. देह खातेदार				
2.	भीकाराम पुत्र मेगाराम जाति ढोली(फौत) के कायम मुकाम 2.1 मदन पुत्र भीकाराम जाति ढोली(फौत) के कायम मुकाम 2.1.1 मुन्नी देवी पत्नी मदन हि. 1/16 जाति ढोली सा. देह खातेदार, 2.1.2 कैलाश पुत्र मदन हि. 1/16 जाति ढोली सा. देह खातेदार, 2.1.3 ममता पुत्री मदन हि. 1/16 जाति ढोली सा. देह खातेदार, 2.1.4. केदार पुत्र मदन हि. 1/16 जाति ढोली सा. देह खातेदार, 2.2 रामचन्द्र पुत्र भीकाराम जाति ढोली(फौत) के कायम मुकाम 2.2.1 विजयलक्ष्मी पुत्री रामचन्द्र हि. 1/16 जाति ढोली सा. देह खातेदार, 2.2.2 राजेश पुत्र रामचन्द्र हि. 1/16 जाति ढोली सा.देह खातेदार, 2.2.3 प्रकाश पुत्र रामचन्द्र हि. 1/16 जाति ढोली सा.देह खातेदार, 2.2.4 बेबी पुत्री रामचन्द्र जाति ढोली(फौत) के कायम मुकाम 2.2.4.1 पूनम पुत्री बेबी हि. 1/48 जाति ढोली सा. देह खातेदार, 2.2.4.2 दीपक पुत्र बेबी हि.1/48 सा. देह जाति ढोली सा.देह खातेदार, 2.2.4.3 नितेश पुत्र बेबी हि. 1/48 जाति ढोली सा.देह खातेदार, 2.3 रतनाराम पुत्र भीकाराम जाति-ढोली(फौत) के कायम मुकाम 2.3.1 नरेन्द्र पुत्र रतनाराम हि. 1/12, जाति ढोली सा.देह खातेदार, 2.3.2 मुकेश पुत्र रतनाराम हि. 1/12 जाति ढोली सा.देह खातेदार, 2.3.3 हरबाला पुत्री रतनाराम हि. 1/12 जाति ढोली सा.देह खातेदार, 2.4 बाबूलाल पुत्र भीकाराम हि. 1/4 जाति ढोली सा.देह खातेदार।	1326/2	0.3764	बारानी अब्बल	1.44

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक (कलेक्टर एवं) पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को सर-इजलास सुनाया गया।

सहायक (कलेक्टर एवं) पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

